न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठसीन अधिकारी श्री कैलाश चन्द्र गुर्जर

वाद संख्या :–148/2015

1– ओंकार पिता देवा बलाई निवासी हरिपुरा तहसील बेगूँ

2– हरलाल पिता देवा बलई निवासी हरिपुरा तहसील बेगूँ

3– नानीबाई पिता देवा बलई निवासी हरिपुरा तहसील बेगूँ (नाम तर्क दिनांक18.09.2018)

4– जेतीबाई पत्नि देवा बलई निवासी हरिपुरा तहसील बेगूँ

5– इन्द्रा पिता भैरू बलाई निवासी हरिपुरा तहसील बेगूँ

6–लाली पिता भैरू बलाई निवासी हरिपुरा तहसील बेगूँ

7– विमला पिता भैरू बलाई निवासी हरिपुरा तहसील बेगूँ

8–गोकल पिता भैरू बलाई निवासी हरिपुरा तहसील बेगूँ

9– समना पिता भैरू बलाई निवासी हरिपुरा तहसील बेगूँ

10– बाबूलाल पिता भैरू बलाई निवासी हरिपुरा तहसील बेगूँ नाबालिग जरिये संरक्षक माता भैरू बलाई निवासी हरपुरा

11– नाथी पत्नी भैरू बलाई निवासी हरिपुरा तहसील बेगूँ

12– भोजराज पिता भूरा बलाई निवासी हरिपुरा तहसील बेगूँ

13– बंशीलाल पिता भूरा बलाई निवासी हरिपुरा तहसील बेगूँ

14– घीसी पिता भूरा बलाई निवासी हरिपुरा तहसील बेगूँ

15– सोसर पिता भूरा बलाई निवासी हरिपुरा तहसील बेगूँ

16– भूली पिता भूरा बलाई निवासी हरिपुरा तहसील बेगूँ

17– तुलसी बेवा पिता भूरा बलाई निवासी हरिपुरा तहसील बेगूँ

18– कमला बेवा भूरा बलाई निवासी हरिपुरा तहसील बेगूँ

वादीगण

बनाम

1– नाराण पिता रूपा बलाई निवासी बंदेकाराजपुरा तह0 बेगूँ के बजाय

1/1– रतनलाल पिता नाराण बलाई निवासी बंदेकाराजपुरा तह0 बेगूँ

1/2– कालूलाल पिता नाराण बलाई निवासी बंदेकाराजपुरा तह0 बेगूँ

1/3– कमलाबाई पिता नाराण बलाई निवासी बंदेकाराजपुरा तह0 बेगूँ

1/4– रतनीबाई पिता नाराण बलाई निवासी बंदेकाराजपुरा तह0 बेगूँ

1/5– धापूबाई पत्नी नाराण बलाई निवासी बंदेकाराजपुरा तह0 बेगूँ

2– मोहन पिता रूपा बलाई निवासी हरिपुरा तह0 बेगूँ

3– घीसा पिता किशना बलाई निवासी हरिपुरा तह0 बेगूँ

4– श्री राजस्थान राजय जरिये जिला कलक्टर महोदय चितौडगढ़

5– श्री भूमिधारी जी तहसीलदार साहब तहसील कार्यालय, बेगूँ

6– श्री शाखा प्रबंधक जी स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा बेगूँ

प्रतिवादीगण

उपस्थित ::– श्री कैलाश चन्द्र मंत्री
अधिवक्ता वादीगण
श्री एस.के.बिल्लू
अधिवक्ता प्रति.

निर्णय दिनांक ::– 20.09.2023

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.10.19 16:32:03 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय वाद अ0धा0 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादीगण की ओर से वाद पत्र अधिवक्ता श्री मंत्री द्वारा प्रस्तुत करते हुए निवेदन इस प्रकार से किया गया कि मौजा हरिपुरा पटवार हल्का दौलतपुरा की निम्न आराजीयात प्रतिवादी सं0 1 , 2 हिस्सा 1/2 एवं प्रतवादी सं0 3 हिस्सा 1/2 अनुसार वर्तमान में दर्ज रेकार्ड है::–

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर मे
536	0.4500

612	0.3700
617	0.0500
618	0.4000
619	0.1700
815/707	0.3200
1072/595	

किता–11 कुल रकबा 2.7200 हैक्टर

यह कि प्रतिवादी सं0 1 व2 के पिता रूपा पिता हेमा जी बलाई ने निवासी हरिपुरा ने करीबन 60 वर्ष पूर्व अपना निवास ग्राम हरिपुरा से त्याग कर बंदे का राजपुरा में कर लिया जिससे अपने हिस्से की ग्राम हरिपुरा की सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्तियों को हस्तान्तरण कर दिया। इन्होने ग्राम हरिपुरा की अपने हक हिस्से की सम्पूर्ण कृषि आराजीयात मय हक चाह वादीगण के पूर्वज देवा पिता खाना एवं भूरा पिता खाना जी बलाई निवासीयान हरिपुरा को जरिये पंजिकृत विक्रयपत्र दिनांक 12.05.1960 को निष्पादित एवं दिनांक 02.06.1960 को पंजीकृत के माध्यम से विक्रय कर कब्जा सौंप दिया जा वादीगण के पूर्वजो के समय उनके पास उनके देहावसान पश्चात हम वादीगण क्रमांक 1 से 11 देवा जी के वारिसान एवं 12 से 18 भूरा जी के वारिसान के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में निर्बाध एवं शांतिपूर्वक रूप से चली आ रही है।

यह कि उक्त विक्रय पत्र दिनांक 12.05.1960 को निष्पादन से पूर्व वादीगण के पूर्वज एवं प्रतिवादी सं0 1 से 3 के पूर्वज एक ही कुटुम्ब के सदस्य होकर संयुक्त खातेदार होन से इनके मध्य जरिये नामान्तरण संख्या 32 दिनांक 18.04.1957 को हिस्सा विभाजन हो खाते अलग अलग हुए थे जिसमें प्रतिवादी सं0 1 से 3 के पूर्वजो रूपा पिता हेमा व किशना पिता मोती के हिस्से में भू–प्रबंध पूर्व की आराजीयात आराजी संख्या 372, 374, 376, 377/1, 380/1, 380/2, 380/4, 380/6, 381, 383, 384, 354/4क, 353/1क, 356/1, 40126, 398/1क योग किता–12 कुल रकबा 10बीघा 12 बिस्वा भूमि आई थी जो सम्वत 2011 से 14 के खाता संख्या 65 में इनके नाम पृथक दर्ज रेकार्ड हुई।

यह कि उक्त कलम सं0 2 में वर्णित विक्रयपत्र दिनांक 12.05.1960 के निष्पादन के समय विक्रेता एवं क्रेता अनपढ होने से एवं उससमय नकल जमाबंदी विक्रयपत्र के साथ संलग्न किये जाने की बाध्यता नहीं होने से आराजी संख्या 375, 378, 379 एवं 280 का उल्लेख कर दिया जबकि ये नम्बर उक्त हिस्सा विभाजन में पहले से ही वादीगण के पूर्वजो के बंटवाडे में आने से उनके नाम दर्ज हो चुके थे। यह भूमि जब रूपा पिता हेमा जी बलाई की थी ही नही तो उन्हें विक्रय का अधिकार नहीं था उन्होने विक्रय पत्र के पठन से ही स्पष्ट है कि अपना निवास हरिपुरा से त्याग बंदेकारजपुरा बना लिया व ग्राम हरिपुरा की अपना निहित हक हिस्सा की सम्पूर्ण आराजीयात मय हक चाह आराजी संख्या 387/461 को वादीगण के पूर्वजो को विक्रय कर दी। इस प्रकार स्पष्ट है कि उक्त कलम सं0 3 में वर्णित आराजीयात (भू–प्रबंध पश्चात जिनके नये नम्बर कलम सं0 1 में वर्णित बने है) में अपना निहित हक हिंस्सा सम्पूर्ण रूपा जी ने देवा एवं भूरा पिता खाना बलाई को विक्रय कर दिया था।

उक्त कलम संख्या 1 में वर्णित आराजीयात जिनके भूप्रबंध पूर्व कें नम्बर कलम संख्या 3 में वर्णित थे, में प्रतिवादी सं0 1 व 2 [illegible] जी ने अपना निहित हक हिंस्सा 1/2 सम्पूर्ण वादीगणके पूर्वजो [illegible] वर्ष पूर्व ही विक्रय कर कब्जे सौंप दिया जो मौके पर आपसी सहमति से वादीगण एवं [illegible] सं0 3 के मध्य हो रखे विभाजन अनुसार पृथक पृथक कब्जे काश्त [illegible] में आराजी संख्या 605, 608, 610, 619 एवं 1072/595 योग किता 5 [illegible] रकबा 1.34 हैक्टर भूमि अर्सा कदीम से चली आ रही है, जिसे वादीगण अपने खातेदारी हक की घोषित कराने के अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.10.19 15:32:03 IST
Reason: SelfAttested

निहित हक हिस्सा सम्पूर्ण वादीगण के पूर्वजो को जरिये पंजीकृत विक्रयपत्र हस्तान्तरण कर देने से एवं 55 वर्षो से निर्बाध रूप से भूमि वादीगण केक कब्जे काष्त में हाने से एवं इस अवधि में वादीण्गा द्वारा कभी भी प्रतिवादीगण को भूमि का स्वामी नहीं मानने से पूतिकूल कब्जे के आधार पर वादीण्गा मौजा हरिपुरा प0ह0दौलतपुरा की वर्तमान आराजी संख्या 605, 608, 610, 619 एवं 1072/595 योग किता 5 कुल रकबा 1.34 हैक्टर भूमि अपने स्वामित्व आधिपत्य एवं खातेदारी की होने की घोषणात्मक आज्ञप्ति विरूद्ध प्रतिवादीगण प्राप्त करने के अधिकारी है। यह कि वादीगण को राजस्व रेकार्ड की नकले प्राप्त करने पर जब यह जानकारी हुई कि उनके पूर्वजो द्वारा खरीद सुदा भूमि उनके नाम पर दर्ज नही हुई तो प्रतिवादी सं0 1 व 2 को तहसील कार्यालय में चल कर खाता सही करवाने बाबत दिनांक 17.07.2015 को कहा तो उन्होने मना कर दिया एवं जमीन की छीनने व खुर्द बुर्द करने की धमकियॉ देने लग गये जिससे वादीगण को यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण वास्ते घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तत करने की आवश्यकता हुई है। वाद वर्णित आराजीयात न्यायालय श्रीमान के क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में स्थित होने से वाद श्रवणाधिकार न्यायालय श्रीमान को प्राप्त है।

वादीगण न्यायालय श्रीमान से निम्नलिखित अनुतोष की प्रार्थना करते है:–

क– कि पक्ष वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की घोषणात्मक आज्ञप्ति प्रदान की जावे कि मौजा हरिपुरा पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील बेगूँ की वर्तमान आराजी संख्या 605 रकबा 0.080 हैक्टर , 608 रकबा 0.200 हैक्टर , 610 रकबा 0.3400 हैक्टर , 619 रकबा 0.4000 हैक्टर एवं आराजी संख्या 1072/595 रकबा 0.3200 हैक्टर योग किता–5 कुल रकबा 1.34 हैक्टर भूमि वादीगण के स्वामित्व आधिपत्य व खातेदारी की है जिसे वादीगण अपने नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है।

ख– कि पक्ष वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा प्रदान की जावे कि उक्त कलम (क) में वर्णित आराजीयात के वादीगण के शांतिपूर्वक चले आ रहे कब्जे काष्त में प्रतिवादीण्गा किसी तरह की दखलंदाजी न तो स्वयं करें न ही अपने किसी नौकर एजेन्ट रिश्तेदार आदि से करावें ।

ग– अन्य सहायता जो सुलभ वादीगण हो प्रदान की जावें।

वादीगण का वादपत्र न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया , पत्रावली में प्रतिवादी सं0 3 की ओर से अधिवक्ता श्री निलेश चेचाणी ने अपना अधिकार पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रतिवादी सं0 3 की ओर से ईकबालिया जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण का वादपत्र स्वीकार किये जाने में मुझ विपक्षी संख्या 3 को कोई आपत्ति नहीं है। पत्रावली मे प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री एस.के.बिल्लू ने अपना अधिकार पत्र प्रस्तुत करते हुए वादपत्र को अस्वीकार किया है तथा जवाबदावा के विशेष कथन में अंकित किया है कि वादीगण के मनल में बदनियती आने से गलत वादपत्र मियाद बाहर प्रस्तुत किया है। वाद वर्णित आराजी स्टेट ब ाक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखाता बेगूँ के रहन दर्ज है, बैंक ने सभी दस्तावेज का एवं रेवेन्यु रेकार्ड का निरीक्षण कर ऋण दिया है। वादीगण का वादपत्र खारिज फरमाया जावें। पत्रावली मे प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत होने पर पत्रावली में तनकी पत्र पृथक से कायम किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

1– आया कि मौजा ग्राम हरिपुरा पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील बेगूँ की आराजीयात संख्या 596, 605, 606, 610, 612, 617, 618, 619, 815/707, 107[illegible] कुल किता 11 कुल रकबा 2.7200 हैक्टर में प्रतवादी संख्या 1 , 2 का हिस्सा [illegible] एवं प्रतिवादी संख्या 3 का हिस्सा 1/22 अनुसार दर्ज रेकार्ड है , जिसमें [illegible] विरूद्ध प्रतिवादीगण आराजी संख्या 605, 608, 610, 619 एवं 1072/595 योग किता 5 कुल रकबा 1.34 हैक्टर भूमि वादीगण के स्वामित्व आधिपत्य व खातेदारी की है जो कि जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 02.06.1960 से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता रूपा पिता हेमा जी बलाई से वादीगण (कमांक 1 से 11 देवा जी के वारिसान एवं 12 से 18 भूरा जी के वारिसान) के कब्जे काश्त एवं उपयोग

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.10.19 16:32:03 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण

2– आया कि विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा जवाब प्रस्तुत किया जाकर निवेदन किया गया हे कि वादपत्र मियाद बाहर प्रस्तुत किया गया है इस कारण काबिज खारिज है। साथ ही विशेष कथन किया गया कि वादीगण के मन में बदनीयती आने से गलत वादपत्र मियाद बाहर प्रस्तुत किया है। वाद वर्णित आराजी स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा बेगूँ के रहन दर्ज है। बैंक द्वारा सभी दस्तावेज एवं रेवेन्यु रेकार्ड का निरीक्षण कर ऋण दिया गया है। अतः वादीगण का वादपत्र खारिज होने योग्य है?

प्रतिवादी

3– आया कि विपक्षीसंख्या 3 द्वारा जवाब प्रस्तुत किया जाकर अनापत्ति जाहिर की गयी है?

प्रतिवादी

4– दादरसी ?

पत्रावली में तनकी कायम किये जाने के उपरान्त वादीगण की ओर से दावा पत्रावली में वादी साक्ष्य हेतु शपथ पत्र वादी बंशीलाल पिता भूरा बलाई, गवाह गोपीलाल पिता शोचंद्र धाकड एवं प्रतिवादी संख्या 3 घीसा पिता किशना जी बलाई के प्रस्तुत किये जिनमें से अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा बंशीलाल व गवाह गोपीलाल से जिरह कर वादी एवं गवाह वादीगण के बयान कलमबद्ध कराये तथा वादी द्वारा पत्रावली मे प्रस्तुत सभी दस्तावेज को प्रदर्श कराया गया । पत्रावली में प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही होने एवं उनके द्वारा कोई साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत नही किये जाने पर पत्रावली में अधिवक्ता वादीगण की एक तरफा बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया, अधिवक्ता वादीगण द्वारा अपनी बहस में वाद वर्णित आराजीयात को जो कि वादीगण के पूर्वज द्वारा प्रतिवादी संख्या 1,2 व 3 के पिता द्वारा वर्णित भूमि को जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख द्वारा दिनांक 02.06.1960 से वादीगण के पूर्वज को विक्रय कर दिये जाने से भूमि की घोषणा एवं दस्तावेजी सबूत के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार कर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन कर अपनी बहस को समाप्त किया है। पत्रावली मे प्रतिवादीगण की ओर से वक्त बहस कोई उपस्थित नहीं आये। एक तरफा बहस अधिवक्ता वादीगण की सुने जाने के उपरान्त हमारे द्वारा पत्रावली मे प्रस्तुत सभी दस्तावेजो का गहन अवलोकन किया गया, जिनके आधार पर पत्रावली में कायम तनकी अनुसार निर्णय निम्न प्रकार से किया जाता है:–

1– तनकी नं0 1 का निर्णय::–

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण का है। वादीगण द्वारा वाद पत्र के समर्थन में जो दस्तावेज प्रस्तुत किये है उनमें नकल जमाबंदी मौजा हरिपुरा प0ह0 दौलतपुरा सं0 2068 से 76 जो कि प्रदर्श– 1 है का अवलोकन किये जाने पर पाया कि जमाबंदी में दर्ज आराजी संख्या 596, 605, 606, 610, 612, 617, 618, 619, 815/707, 1072/595 कुल किता 11 कुल रकबा 2.7200 हैक्टर भूमि श्री नाराण मोहन पिता रूपा हिस्सा 1/2 घीसा पिता किशना हिस्सा 1/2 बलाई सा.देह खातेदार रहन स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा बेगूँ मूर्तहीन का अंकन किया हुआ है, प्रदर्श–2 नक्शाट्रेस आराजी की नकल है। प्रदर्श–3 बेचान नामा आराजी जो कि पंजीकृत विक्रय विलेख है, उक्त विक्रय पत्र को रूपा पिता हैमा बलाई निवासी हरिपुरा ने श्री देवा पिता खाना बलाई श्री भूरा पिता खाना बलाई सा0हरिपुरा के नाम पर मौजा हरिपुरा में वर्णित उनके खाते की आराजी नम्बर 375, 378, 379 एवं 280 का उल्लेख कर दिया जबकि ये नम्बर उक्त हिस्सा विभाजन में पहले से ही वादीगण के पूर्वजो के बंटवाडे में आने से उनके नाम दर्ज हो चुके थे।नकल जमाबंदी मौजा हरिपुरा सम्वत 2027 से 30 की नकल जमाबंदी की है जो [illegible] किया जाने पर पाया कि आराजी संख्या 372, 374, 376, 377/1, 380/1, [illegible] 380/4, 380/6, 381, 383, 384, 354/4क, 353/1क, 356/1, 401/26, 398/1क [illegible] किता–12 कुल रकबा 10बीघा 12 बिस्वा भूमि रूपा पिता हेमा 1/2 [illegible] 1/2 के नाम पर दर्ज है। यानि खातेदार रूपा पिता हैमा को अपने हिस्से की 1/2 आराजी को विक्रय करने का अधिकार प्राप्त था। पत्रावली में प्रस्तुत नकल भू–प्रबन्ध खसरा सैटलमेन्ट जो कि प्रदर्श–5 होकर पृष्ठ 1 से लगायत 5 तक है का अवलोकन हमारे द्वारा किया गया जिसमें खातेदार रूपा पिता हेमा द्वारा वादीगण के पूर्वज को विक्रय शुदा गत आराजी के नवीन आराजी संख्या का मिलान किया जाने पर आराजी संख्या 605, 608, 610, 619 एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.10.19 16:32:03 IST
Reason: SelfAttested

कब्जा होने से खोला गया है , प्रदर्श–7 नकल जमाबंदी सं0 2028 की है जिसमें आराजी संख्या 605, 606, 610, 612, 617, 618, 619, 815/707 किता– 9 रकबा 12बीघा रूपा पिता इन्ना किशना पिता मोती के खाते दर्ज हुई है। पत्रावली में प्रस्तुत प्रदर्श–8 व प्रदर्श–9 नकल जमाबंदी का अवलोकन भी हमारे द्वारा किया गया, इन सभी दस्तावेज एवं मुख्यतः पंजीकृत विक्रय विलेख जो कि प्रदर्श–3 है के अवलोकन से वादीगण का वाद पत्र सिद्ध होता है, क्यो कि पत्रावली में प्रतिवादी सं0 3 द्वारा वादीगण के वाद पत्र को स्वीकार किया है जबकि प्रतिवादी सं0 1 व 2 ना तो स्वयं उपस्थित आये है और ना ही उनके अधिवक्ता उपस्थित आये तथा कोई भी साक्ष्य सबूत वादीगण के वाद पत्र के विरूद्ध प्रस्तुत भी नहीं की गई है। जबकि वादीगण का दस्तावेजी साक्ष्य से वादपत्र सिद्ध होने से तनकी नम्बर 1 बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

2–<u>तनकी नं0 2 का निर्णय</u> ::–

इस तनकी को सिद्ध कराने का भार प्रतिवादी सं. 1 व 2 का है जिन्होने अपने जवाब दावे में वर्णित भूमि पर बैंक ऋण होने का कथन कहा है किन्तु जो भूमि उनके खाते में गलत अंकित कर दी गई है उस भूमि पर खातेदारी अधिकार दस्तावेजी साक्ष्य से वादीगण का है क्यो कि वर्णित भूमि वादीगण के पूर्वजो द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख से क्रय की गई थी, उक्त भूमि पर वक्त खरीद से ही वादीगण के पूर्वज एवं उनके बाद से ही वादीगण का कब्जा काश्त होने का कथन वादीगण ने अपने वाद पत्र एवं साक्ष्य में कहा है, प्रतिवादीगण इस तथ्य को किसी भी दस्तावेज से सिद्ध नहीं करा पाये है कि वर्णित भूमि का अधिकार वादीगण का नहीं है, ना ही प्रतिवादीगण ने कोई साक्ष्य सबूत प्रस्तुत किया है, इस प्रकार तनकी नं. 1 का निर्णय विस्तृत किया हुआ है कि वादीगण का वादपत्र दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध होता है। इस प्रकार प्रतिवादी सं. 1 व 2 तनकी को सिद्ध कराने में असफल रहे है। अतः तनकी नं0 2 बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

3–<u>तनकी नं03 का निर्णय</u> ::–

इस तनकी का भार प्रतिवादी सं. 3 पर है जिन्होने वादीगण के वाद पत्र को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होना अपने जवाब में अंकित किया है, इस तनकी को कायम किये जाने की आवश्यकता ही नहीं थी, इस तनकी पर निर्णय की आवश्यकता नहीं होने से यह तनकी वादीगण के पक्ष में सिद्ध की जाती है।

इस प्रकार पत्रावली में कायम सभी तनकी वादीगण के पक्ष में सिद्ध होने से दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के आधार पर वादीगण का वाद पत्र अ0धा0 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादीगण अ0धा0 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है, दावा डिक्री किया जाता है। मौजा हरिपुरा पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील बेगूं की वर्तमान आराजी संख्या 605 रकबा 0.080 हैक्टर , 608 रकबा 0.200 हैक्टर , 610 रकबा 0.3400 हैक्टर , 619 रकबा 0.4000 हैक्टर एवं आराजी संख्या 1072/595 रकबा 0.3200 हैक्टर योग किता–5 कुल रकबा 1.34 हैक्टर भूमि वादीगण के स्वामित्व आधिपत्य की होने से वादीगण के खातेदारी में दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है, तहसीलदार भूमिधारी वादीगण के नाम उक्त आराजी को राजस्व रेकार्ड में दर्ज करें, साथ ही प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे उक्त वादीगण के खाते व कब्जे काश्त की भूमि में किसी प्रकार की दखलंदाजी न तो स्वयं करें ना ही अपने नौकर ऐजेन्ट आदि से करावें।

निर्णय आज दिनांक 20.09.2023 को लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.10.19 15:32:03 IST
Reason: SelfAttested

(कैलाश चन्द्र गुर्जर)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूं

पीठासीन अधिकारी श्री कैलाश चन्द्र गुर्जर

दावा संख्या ::– 148/2015

1– उंकार पिता देवा बलाई निवासी हरिपुरा तहसील बेगूँ
2– हरलाल पिता देवा बलई निवासी हरिपुरा तहसील बेगूँ
3– मांगीबाई पिता देवा बलई निवासी हरिपुरा तहसील बेगूँ
4– जेतीबाई पत्नि देवा बलई निवासी हरिपुरा तहसील बेगूँ (नाम तर्क दिनांक18.09.2018)
5– इन्द्रा पिता भैरू बलाई निवासी हरिपुरा तहसील बेगूँ
6– लाली पिता भैरू बलाई निवासी हरिपुरा तहसील बेगूँ
7– विमला पिता भैरू बलाई निवासी हरिपुरा तहसील बेगूँ
8– गोकल पिता भैरू बलाई निवासी हरिपुरा तहसील बेगूँ
9– समना पिता भैरू बलाई निवासी हरिपुरा तहसील बेगूँ
10– बाबूलाल पिता भैरू बलाई निवासी हरिपुरा तहसील बेगूँ नाबालिग जरिये संरक्षक माता भैरू बलाई निवासी हरपुरा
11– नाथी पत्नी भैरू बलाई निवासी हरिपुरा तहसील बेगूँ
12– भोजराज पिता भूरा बलाई निवासी हरिपुरा तहसील बेगूँ
13– बंशीलाल पिता भूरा बलाई निवासी हरिपुरा तहसील बेगूँ
14– घीसी पिता भूरा बलाई निवासी हरिपुरा तहसील बेगूँ
15– सोसर पिता भूरा बलाई निवासी हरिपुरा तहसील बेगूँ
16– भूली पिता भूरा बलाई निवासी हरिपुरा तहसील बेगूँ
17– तुलसी बेवा पिता भूरा बलाई निवासी हरिपुरा तहसील बेगूँ
18– कमला बेवा भूरा बलाई निवासी हरिपुरा तहसील बेगूँ

वादीगण

बनाम

1– नाराण पिता रूपा बलाई निवासी बंदेकाराजपुरा तह0 बेगूँ के बजाय
   1/1– रतनलाल पिता नाराण बलाई निवासी बंदेकाराजपुरा तह0 बेगूँ
   1/2– कालूलाल पिता नाराण बलाई निवासी बंदेकाराजपुरा तह0 बेगूँ
   1/3– कमलाबाई पिता नाराण बलाई निवासी बंदेकाराजपुरा तह0 बेगूँ
   1/4– रतनीबाई पिता नाराण बलाई निवासी बंदेकाराजपुरा तह0 बेगूँ
   1/5– धापूबाई पत्नी नाराण बलाई निवासी बंदेकाराजपुरा तह0 बेगूँ
2– मोहन पिता रूपा बलाई निवासी बंदेकाराजपुरा तह0 बेगूँ
3– घीसा पिता किशना बलाई निवासी हरिपुरा तह0 बेगूँ
4– श्री राजस्थान राजय जरिये जिला कलक्टर महोदय चितौड़गढ़
5– श्री भूमिधारी जी तहसीलदार साहब तहसील कार्यालय, बेगूँ
6– श्री शाखा प्रबंधक जी स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा बेगूँ

प्रतिवादीगण

निर्णय वाद अ0धा0 88– 188 राज0 काश्त0 अधि0

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाश चन्द्र मंत्री की उपस्थिती तथा प्रतिवादीगण की ओर से श्री....................... की अनुपस्थिती में इस वाद अ0धा0 88– 188 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 20.09.2023 को पीठासीन अधिकारी कैलाश चन्द्र गुर्जर सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बेगूँ के समक्ष निपटारे हेतु उपस्थित होने से वाद अन्तर्गत धारा 88–188 राज0 काश्त0 अधि0 का स्वीकार किया जाता है दावा अंतिम डिक्री किया जाता है:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.10.19 15:32:03 IST
Reason: SelfAttested

अतः वाद वादीगण अ0धा0 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है, दावा डिक्री किया जाता है। मौजा हरिपुरा पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील बेगूँ की वर्तमान आराजी संख्या 605 रकबा 0.080 हैक्टर , 608 रकबा 0.200 हैक्टर , 610 रकबा 0.3400 हैक्टर , 619 रकबा 0.4000 हैक्टर एवं आराजी संख्या 1072/595 रकबा 0.3200 हैक्टर योग किता–5 कुल रकबा 1.34 हैक्टर भूमि वादीगण के स्वामित्व आधिपत्य की होने से वादीगण के खातेदारी में दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है, तहसीलदार भूमिधारी वादीगण के नाम उक्त आराजी को राजस्व रेकार्ड में दर्ज करें, साथ ही प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे उक्त वादीगण के खाते व कब्जे काश्त की भूमि में किसी प्रकार की दखलंदाजी न तो स्वयं करें ना ही अपने नौकर ऐजेन्ट आदि से करावें।

यह अंतिम डिक्री आज दिनांक 20.09.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई ।

(कैलाश चन्द्र गुर्जर)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ

दिनांक ::– 21.9.23

क्रमांक/सरिश्ता/2023/402 व अनवान उँकार बनाम नाराण में जारी उपरोक्त अंतिम डिक्री की दावा संख्या 148/2015 व प्रति वास्ते पालनार्थ तहसीलदार बेगूँ को दी जाती है।

सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ

Signature Not Verified

Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.10.19 15:32:03 IST
Reason: SelfAttested